निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–91/21
दायरा दिनांक :–20.07.21
निर्णय दिनांक :–14.05.2022

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री बैजनाथ जाति मीणा
2. कृष्णमुरारी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री बैजनाथ जाति मीणा निवासीगण ग्राम बमूलिया(गजनपुरा) तह0 व जिला बारां(राज0)

बनाम

1. कमल उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व0 श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां (राज0)
2. प्रताप बाई उम्र 50 वर्ष पत्नि स्व0 श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां (राज0)
3. कविता उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री चेतन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम रसखेड़ा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
4. नीतू उम्र 24 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री भीमराज मीणा जाति मीणा निवासी निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम राजपुरा तह0 व जिला बारां(राज0)
5. मेनता उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री कौशल मीणा जाती मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम तेजाजी का जेलोदा तह0 मांगरोल जिला बारां(राज0)
6. रश्मी उम्र 22 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री धर्मराज जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम मोरपा तह0 दीगोद जिला कोटा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.05.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी – वादी
2.श्री ओमप्रकाश मेहता–प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी कम 02 गूंगा है तथा बोलने में असमर्थ है एवं अपने भाई वादी कम 01 के साथ रहकर अपनी परवरिश पा रहा है। दोनों के हित समान है एवं एक–दूसरे के विपरीत नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम शामलाती खाते में वाके माल बमूलिया पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 159 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 307 रकबा 2.45 है0, खसरा नं0 312 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 388 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 415 रकबा 0.37 है0 कुल 5 किता रकबा 4.37 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2075 के अनुसार दर्ज है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वादी कम 01 का 3/4, वादी कम 02 का 1/8 तथा प्रतिवादी कम 01 ता 06 का 1/48 हक एवं हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से हिस्से अनुसार अपना पृथक खाता दर्ज कराने हेतु निवेदन किया कि अपने हिस्से के अनुसार अच्छे में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी जमीन का बंटवारा कर पृथक खाता दर्ज करवा लें, परन्तु प्रतिवादी कम 01 ता 06 तैयार नहीं है। तथा प्रतिवादी कम 01 कमल ने खसरा नं0 388 रकबा 0.11 है0 की जमीन रोड़ से लगवा होने के कारण उसपर जबरन कब्जा कर उक्त खसरा नम्बर पर निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ कर दिया है। तथा मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमदा होता है, जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर खतरा पैदा हो गया है। इसलिये वादीगण का अपने कानूनी अधिकारों की रक्षार्थ उक्त दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी कम 01 ता 06 मृतक देवीलाल के वारिसान है तथा देवीलाल वादीगण का सगा भाई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से के अनुसार पृथक खाता कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण अपने हक हिस्से अनुसार लगान का निर्धारण कर पृथक से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर पृथक खाता दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी है। वादीगण जब अपना खाता पृथक करवाने के लिये प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया तथा कहा कि हम तो तुम्हारे हक हिस्से की जमीन को भी जबरन काश्त करेंगे। अन्तिम बार दिनांक 07.07.2021 को प्रतिवादीगण से तहसील चलकर खाता अलग करवाने को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया। इस कारण से उक्त वाद दिनांक 07.07.2021 को ग्राम वाके माल बमूलिया तहसील बारां में पैदा हुआ एवं वर्तमान में भी हो रहा है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी कम 01 ता 6 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

सदस्य
राजस्थान लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमूलिया सम्वत 2073–76 खाता सं0 71, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बमूलिया पेश किये गये।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा जर्ये अभिभाषक गण द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि ग्राम वाके माल बमूलिया की खाता सं0 71 में दर्ज आराजी ख0नं0 159 रकबा 0.94 है0 बीडा वाला खेत में से उत्तरी ओर का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा 0.51 है0 प्रतिवादी कम 1 ता 6 के हिस्से में प्राप्त होगा एवं खाते में दर्ज शेष ख0नं0 307 रकबा 2.45 है0 ख0नं0 312 रकबा 0.50 है0, ख0नं0415 रकबा 0.37 है0 समस्त रकबा वादीगण कृष्णमुरारी व चन्द्रप्रकाश के खाते में पृथक–पृथक से दर्ज रहेगा ख0नं0 388 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी कम 1 ता 6 के खाते व हिस्से में प्राप्त होगी उक्त अनुसार बंटवारा कर खाता पृथक–पृथक कर एवं लगान पृथक से निर्धारण कर डिकी प्रदान की जावे। पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बमूलिया सम्वत 2073–76 में वादी एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है।वादी एवं प्रतिवादीगण प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार एवं हिस्से व कब्जे के आधार पर अलग–अलग खाता दर्ज करवाना चाहते है। विवादित आराजीयात का मुताबिक राजीनामा अलग–अलग खाते दर्ज करवाना चाहते है। जिसमें सभी पक्षकारान सहमत है। वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया तह0 बारां के ख0नं0 159 रकबा 0.94 है0 में से उत्तरी ओर का पूर्वी पश्चिमी हि0 0.51 है0 एवं ख0नं0 388 रकबा 0.11 है0 भूमि प्रतिवादी कम 1 ता 6 के खाते में ख0नं0 159 रकबा 0.94 है0 का शेष रकबा 0.43 है0 वादी चन्द्रप्रकाश के खाते में एवं ख0नं0 307 रकबा 2.45 है0 ख0नं0 312 रकबा रकबा 0.50 है0 ख0नं0 415 रकबा 0.37 है0 समस्त भूमि वादीगण चन्द्रप्रकाश व कृष्णमुरारी के खाते में पृथक–पृथक दर्ज करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष सदस्य
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बारां (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

ाद संख्या 91/21	धारा अन्तर्गत 53, 188 आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक :–14 .05.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता	

वाद शीर्षक

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री बैजनाथ जाति मीणा
2. कृष्णमुरारी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री बैजनाथ जाति मीणा निवासीगण ग्राम बमूलिया(गजनपुरा) तह0 व जिला बारां(राज0)

बनाम

1. कमल उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व0 श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां (राज0)
2. प्रताप बाई उम्र 50 वर्ष पत्नि स्व0 श्री देवीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां (राज0)
3. कविता उम्र 26 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री चेतन मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम रसखेड़ा तहसील अन्ता जिला बारां
4. नीतू उम्र 24 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री भीमराज मीणा जाति मीणा निवासी निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम राजपुरा तह0
5. मेनता उम्र 30 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री कौशल मीणा जाती मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम तेजाजी का जेलोदा तह0 मांगरोल
6. रश्मी उम्र 22 वर्ष पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नि श्री धर्मराज जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया (गजनपुरा) तह0 व जिला बारां हाल ग्राम मोरपा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बमूलिया तह0 बारां के ख0नं0 159 रकबा 0.94 है0 में से उत्तरी ओर का पूर्वी पश्चिमी हि0 0.51 है0 एवं ख0नं0 388 रकबा 0.11 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खाते में ख0नं0 159 रकबा 0.94 है0 का शेष रकबा 0.43 है0 वादी चन्द्रप्रकाश के खाते में एवं ख0नं0 307 रकबा 2.45 है0 ख0नं0 312 रकबा रकबा 0.50 है0 ख0नं0 415 रकबा 0.37 है0 समस्त भूमि वादीगण चन्द्रप्रकाश व कृष्णमुरारी के खाते में पृथक–पृथक दर्ज करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 14.05.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner